कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी,एवं भू–अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक–/री –1/भू. अ./2020/**2329** खण्डवा, दिनांक– 17.9.2020

प्रति,

नियंत्रक
केन्द्रीय मुद्रणालय,
भोपाल

विषय– "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना शुद्धि पत्र** का राजपत्र मे प्रकाशन होने बाबत्। प्रकरण क्रमांक **0004/अ–82/19–20 ग्राम बमनगांव आखई** तहसील **खण्डवा**

––00––

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की **सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट अधिसूचना शुद्धि पत्र** का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग–1 मे होना हैं। कलेक्टर एवं समुचित सरकार, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित **अधिसूचना शुद्धि पत्र** की दो प्रतियां आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र मे शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करें।

(संजीव केशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

पृ. क्रमांक–/री –1/भू. अ./2020/**2330** खण्डवा, दिनांक– 17.9.2020

प्रतिलिपि–

1. उप मुंख्य इंजीनियर (निर्माण), दक्षिण मध्य रेल्वे **अकोला** की ओर सूचनार्थ ।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर, कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित **अधिसूचना शुद्धि पत्र** को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
3. तहसीलदार **खण्डवा** की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि निम्न स्थानों पर एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणिकरण के आठ दिवस में वापसी भिजवाने की व्यवस्था करें
   1. कलेक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड 2. उप–खण्ड मजिस्ट्रेट खण्डवा के नोटिस बोर्ड पर
   3. तहसील कार्यालय नोटिस बोर्ड 4. ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर
   5. ग्राम **बमनगांव आखई** की चौपाल पर

(संजीव केशव पाण्डेय)
अनुविभागीय अधिकारी,एवं
भू–अर्जन–अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा

नस्तीक. ..../2019 एलए
भू–अर्जन प्र0 क0–0004/अ–82/2019–2020 खण्डवा, दिनांक 17/09/2020

// अधिसूचना – शुद्धि पत्र //

उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र/प्रस्ताव के आधार पर **खण्डवा अकोला के मध्य आमान परिवर्तन गेज (कन्वर्जन) कार्य हेतु ग्राम बमनगांव आंखई की** अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि के संबंध मे भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक–**0004**/अ–82/2019–20 में **भू–अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यपस्थापन मे उचित प्रतिकर अधिनियम 2013" (क. 30 सन 2013)** के अध्याय 2(अ) धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी अधिसूचना का प्रकाशन म.प्र. राजपत्र भाग–1 में दिनांक 18.10.2019 को, समाचार पत्र स्वदेश में दिनांक 20.10.2019 को, पिपुल्स समाचार में दिनांक 20.10.2019 को, आम इश्तहार दिनांक 30.09.2019 को हुआ है। डी.एम की वेबसाईट पर अपलोडिंग दिनांक 30.09.2019 को किया गया । उक्त अधिसूचना में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे।

प्रकाशन जिसमे हुआ	पूर्व प्रकाशन प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
म.प्र राजपत्र भाग–1 में दिनांक 18.10.2019	4.034 है0	4.065 है0
स्वदेश में दिनांक 20.10.2019	4.034 है0	4.065 है0
पिपुल्स समाचार में दिनांक 20.10.2019	4.034 है0	4.065 है0
आम इश्तहार दिनांक 30.09.2019	4.034 है0	4.065 है0
डी.एम.बेवसाइट दिनांक 30.09.2019	4.034 है0	4.065 है0

उक्त प्रकाशन अधिसूचना में कुल अर्जनीय रकबा 4.034 है0 के स्थान पर **4.065** है0 पढ़ा जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अनय द्विवेदी)
कलेक्टर एवं समुचित सरकार
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जिला–खंडवा